

क्रमांक/ 182 /आउशि/सम्बं./शा-13/03, भोपाल, दिनांक: 17.1.03

प्रति,

मुख्य सचिव
राजीव गान्धी विश्वविद्यालय,
जबलपुर म.प्र.

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र में संशोधन बाबत ।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1904/1312/सम्बं./शा-13/02, दिनांक- 18.12.02 के द्वारा अनुश्री डी.स्योपेथी चिकित्सा आसकीय महाविद्यालय, जबलपुर को दिये गये अनुमति आदेश में बी.ए.एम.एस. के स्थान पर बी.एच.एम.एस. एवं बिन्दु क्रमांक 3 में चिकित्सा विभाग, म.प्र. शासन के स्थान पर चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल पढ़ा जावे ।

संयुक्त संचालक एस.जे. १
उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल

पृ०/ 183 /आउशि/सम्बं./शा-13/03, भोपाल दिनांक : 17.1.03

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, अनुश्री सोलावटी, 16 जबलपुर क्लब, नोदरा त्रिम, जबलपुर ।
2. प्राचार्य, अनुश्री डी.स्योपेथी मेडिकल कॉलेज, जबलपुर ।
3. आसकीय अंग्रेजी महाविद्यालय, जबलपुर ।

16/1/03
संयुक्त संचालक एस.जे. १
उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ-भवन, भोपाल-462004.

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 15.03.2000

क्रमांक : एफ 13-5/2000/55/चिशि/2, राज्य शासन अनुश्री एज्युकेशन सोसायटी जबलपुर द्वारा प्रस्तावित अनुश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जबलपुर में बी. एच. एम. एस. स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनापत्ति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि संस्था केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली की अनुमति, उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति एवं संबंधित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त करने के पश्चात् ही महाविद्यालय प्रारंभ करेगी ।

2/ संस्था में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा आवंटित सीट्स के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कौंसिलिंग के माध्यम से छात्रों को बी. एच. एम. एस. प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जायेगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(Signature)

§ छुवीर श्रीवास्तव §
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.

पृ०क्र० : एफ 13-5/2000/55/चिशि/2,

भोपाल, दिनांक 15.03.2000

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अश्रेषित :-

1. विशेष सहायक, मान्द मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा विभाग.
2. सचिव, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान भवन 61-65 इन्स्टीट्यूशन एरिया विपरीत डी ज्वाक जनकपुरी, नई दिल्ली-59

//2//

3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल.
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा & अशासकीय शिक्षण संस्थाओं से संबंधित शाखा & हिन्दी भवन के पास, भोपाल ।
5. कलेक्टर, जबलपुर.
6. रजिस्ट्रार, रानी दुर्गावती विश्व विद्यालय, जबलपुर.
7. संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल.
8. प्रशासक, राज्य होम्योपैथी परिषद, भोपाल.
9. रजिस्ट्रार, राज्य होम्योपैथी परिषद, भोपाल.
- ✓ 10. सचिव, अनुश्री स्पुकेशन सोसायटी, 16 जबलपुर, क्लब कॉम्प्लेक्स नौदरा ब्रिज, जबलपुर-482002.
11. आदेश फाईल.



उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग.

//पातरे 15032000//